उपायुक्त –सह– जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, गुमला।
(विधि शाखा)

म्यूटेशन रिवीजन (Mutation Revision)वाद सं0 :–117 / 2023–24

महावीर साहु वगै0

बनाम

गौरी देवी वगै0

06.7.24

1. अपीलार्थी महावीर साहु 2. दयाल साहु दोनों के पिता–स्व0 खुदी तेली ग्राम–लावागाई नवाटोली पो0–भुरसो थाना–सिसई जिला–गुमला के द्वारा उप समाहर्त्ता भूमि सुधार गुमला के दाखिल–खारिज अपील वाद सं0–19 / 2018–19 में दिनांक–15.09.2023 को पारित आदेश से विक्षुब्ध होकर अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में रिवीजन दाखिल किया गया है।

अपीलार्थीगण के Mutation Revision पर सुनवाई प्रारंभ करते हुए उत्तरवादी को नोटिस निर्गत किया गया।

2. अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि अपीलार्थी निम्न न्यायालय में जानबुझकर न्यायालय से धोखा धड़ी करने के उद्देश्य से हस्तक्षेपी महाबीर साहु वो दयाल साहु को पक्षकार नही बनाते हुए अपील वाद सं0–19 / 2018–19 दायर किया गया था जबकि प्रश्नगत भूमि मौजा–लावागाई थाना–सिसई जिला–गुमला के अवस्थित खाता सं0–29 प्लॉट सं0–424 रकबा–0.96 एकड़ एवं प्लॉट सं0–737 रकबा–0.81 एकड़ कुल रकबा–1.77 एकड़ भूमि का जमाबंदी अपीलार्थी के नाम से कायम है। बाद में इस अपील वाद की जानकारी के पश्चात अपीलार्थी मध्यक्षेपी आवेदन दाखिल कर निम्न अपीलीय न्यायालय में पक्षकार बने है।

3. अपीलार्थी के पिता स्व0 खुदी साहु मौजा–लावागाई नवाटोली पो0–भुरसो अंचल सिसई जिला–गुमला के निवासी थे। प्रश्नगत भूमि के खरीदगी के अनुरुप खाता सं0–29 प्लॉट सं0–424 रकबा–0.96 एकड़ एवं प्लॉट सं0–737 रकबा–0.81 एकड़ कुल रकबा–1.77 एकड़ भूमि का उनके नाम पर पंजी ii में जमाबंदी दर्ज है, जिसका लगान रसीद निर्गत हो रहा है। अपीलार्थी के पिता स्व0 खुदी साहु के नाम पर जमाबंदी में दर्ज प्लॉट सं0–736 / 834 रकबा–1.51 एकड़ भूमि का उत्तराधिकारी दाखिल खारिज कराकर महाबीर साहु व दयाल साहु के नाम पर रसीद निर्गत हो रहा है।

4. प्रश्नगत खाता सं0–29 प्लॉट सं0–424 / 737 रकबा–3.54 एकड़ भूमि का पूर्व में सादा हुकुमनामा से स्व0 पाण्डे साहु एवं खुदी साहु के द्वारा संयुक्त रुप से भूमि कय किया गया था। हिस्से को लेकर पूरब तरफ की भूमि का सीमांकन स्व0 खुदी साहु के पुत्र महाबीर साहु व दयाल साहु द्वारा कराया जाना लगा तभी आपसी बंटवारा को लेकर उनके मध्य विवाद हो गया। प्रश्नगत भूमि का सीमांकन के विरुद्ध आपत्ति दायर किया गया। महाबीर साहु वो दयाल साहु के नाम पर किया गया उत्तराधिकारी नांमांतरण वाद सं0–99 आर 27 / 2009–10 के विरुद्ध महाबीर साहु के सीमावर्ती पड़ोसी गौरी देवी पति चिन्ता साहु ग्राम–छारदा अंचल सिसई जिला–गुमला द्वारा नामांतरण अपील वाद सं0–19 / 2018–19 भूमि सुधार उप समाहर्त्ता गुमला के न्यायालय में दायर किया गया है। उभय पक्षों का वशावली निम्नलिखित रुप से है:–

Scanned with OKEN Scanner

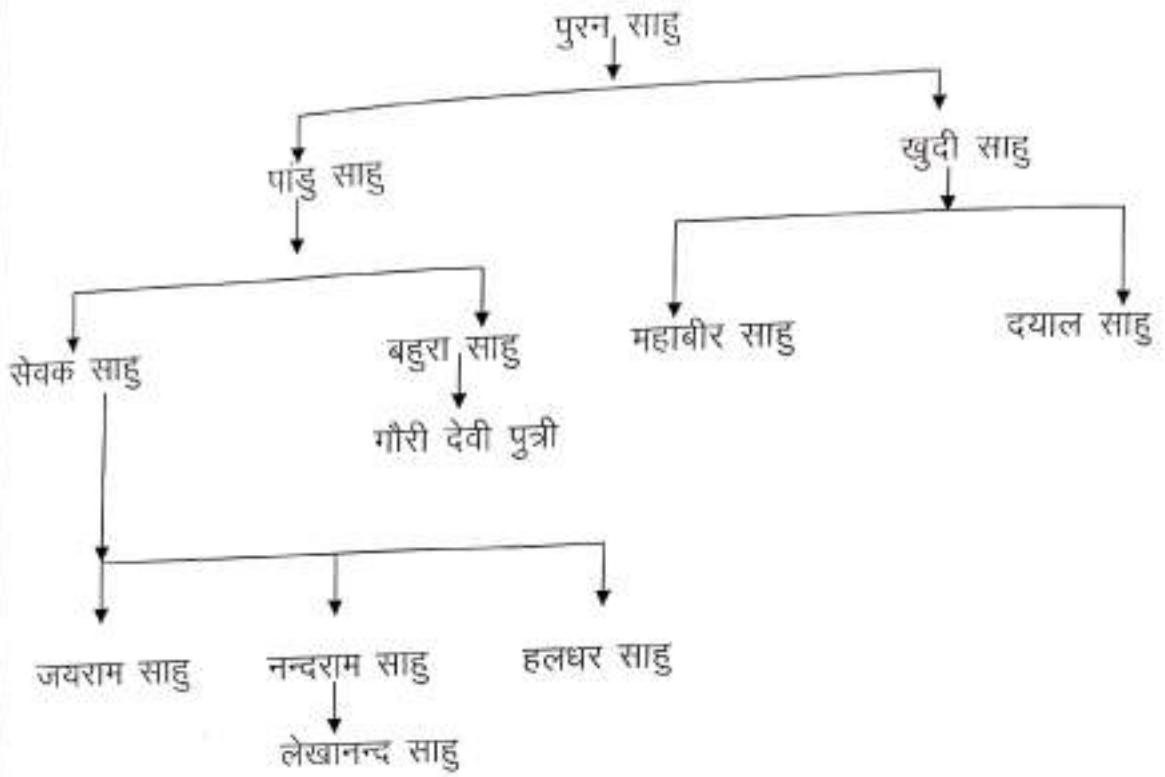

5. गौरी देवी बंटवारा वाद सं0–77/1976 में पारित फाईनल डिक्री दिनांक–30.03.89 के आलोक में प्रश्नगत भूमि में नाजायज दावा प्रस्तुत कर रहे है। प्रश्नगत बंटवारा वाद के दरमियान अपीलार्थी महाबीर साहु वो दयाल साहु के पिता खुदी साहु का हेहान्त दिनांक–13.07.1981 को हो गया परन्तु गौरी देवी न्यायालय के साथ धोखा–धड़ी करते हुए मृत व्यक्ति खुदी साहु के नाम फाईनल डिकी दिनांक–30.03.89 को ले लिया तथा महाबीर साहु वो खुदी साहु को पक्षकार जानबुझकर नही बनाया। कालान्तर में बंटवारा वाद सं0–77/76 के फाईनल डि्की के छेड़–छाड़ करते हुए दिनांक–15.05.89 को वगैर समक्ष न्यायालय के आदेश के खुदी साहु का नाम फाईनल डि्की से हटा दिया। विधि का सिद्धान्त है कि मृत व्यक्ति के खिलाफ प्राप्त डि्की प्रभावहीन है।

6. गौरी देवी पुनः न्यायालय के साथ धोखा धड़ी करते हुए वगैर महाबीर साहु वो दयाल साहु को पक्षकार बनाते हुए इजराय वाद सं0–04/1989 में न्यायालय से कागजी तौर पर दखलदिहानी आदेश प्राप्त कर लिया, परन्तु महाबहीर साहु वो दयाल साहु को बंटवारा वाद सं0–77/76 एवं इजराय वाद सं0–04/89 में पक्षकार नही बनाया गया था। प्रश्नगत बंटवारा वाद सं0–77/76 एवं इजराय वाद सं0–04/89 में प्राप्त दखल देहानी का आदेश महाबीर साहु वो दयाल साहु के विरुद्ध प्रभावकारी नही हो सका और प्रश्नगत भूमि खाता सं0–29 प्लॉट सं0–424 रकबा–0.96 एकड़ एवं प्लॉट सं0–737 रकबा–0.81 एकड़ कुल रकबा–1.77 एकड़ वो प्लॉट सं0–424/834 रकबा–1.51 एकड़ का जमाबन्दी खुदी साहु के नाम कायम था। कालान्तर में उपरोक्त वर्णित भूमि का उतराधिकारी के तौर पर हासिल कर अपीलार्थी महाबीर साहु वो दयाल साहु हक दखलकार है तथा उनके नाम उत्तराधिकारी दाखिल खारिज वाद सं0–99 आर 27/2009–10 से दाखिल खारिज होकर लगान रसीद निर्गत हो रहा है।

7. प्रभारी पदाधिकारी जिला गोपनीय शाखा गुमला द्वारा प्रेषित जॉच प्रतिवेदन ज्ञापांक–5734/ii गो0 दिनांक–28.10.2022 से स्पष्ट होता है कि महाबीर साहु वो दयाल साहु के हित में पंजी ii में नाम संधारित होने तथा रसीद निर्गत होने की

Scanned with OKEN Scanner

पुष्टि होती है। महाबीर साहु वो दयाल साहु बंटवारा वाद सं0–77/76 में पक्षकार नही थे, तथा वह आदेश मृत व्यक्ति खुदी साहु के विरुद्ध आदेश पारित किया गया था। मृत व्यक्ति के विरुद्ध पारित आदेश/डिक्री शून्य होता है। इजराय वाद सं0–04/89 में पारित आदेश कभी अमल प्रभाव में नही आ सका। गौरी देवी बंटवारा वाद सं0–77/76 में पारित डिक्री मुताबिक विगत 30 वर्ष से अधिक समय तक दाखिल खारिज नही करा सकी, तथा यह भी विधि का सिद्धान्त है कि भारतीय परिसीमन अधिनियम में वर्णित प्रावधानधारा के अनुरुप यदि डिक्री पारित हुए 12 वर्ष से अधिक समय हो गया है। अपीलार्थी का दखल प्रश्नगत भूमि प्लॉट सं0–424, 737 एवं प्लॉट सं0–414/734 में पृष्टि है एवं जमाबन्दी कायम है। निम्न अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत नही है।

अपीलार्थी के द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता गुमला द्वारा पारित आदेश को निरस्त करते हुए अपील स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया है।

उत्तरवादी सं0–01 का पक्ष

8. उत्तरवादीगण के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा लिखित बहस के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि अपीलार्थीगण द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता गुमला द्वारा नामान्तरण अपील वाद सं0–19/2018–19 में पारित आदेश दिनांक–15.09.2023 के विरुद्ध दायर किया गया है उक्त अपील में वर्त्तमान उत्तरवादी सं0–01 गौरी देवी की अपील को विधि सम्मत तरीके से निम्न न्यायालय द्वारा स्वीकृत किया गया है। रिवीजन वाद में खाता सं0–34, 38, 112, 111, 88, 75, 29, 28, 2, 75 एवं 40 की भूमि जो ग्राम लावागांई थाना–सिसई जिला–गुमला एवं खाता सं0–33 व 34 की भूमि जो ग्राम–सियांग थाना–सिसई जिला–गुमला में अवस्थित है। प्रश्नगत भूमि पक्षकारों की संयुक्त सम्पत्ति थी तथा इनके अलावे भी उपरोक्त खाता की भूमि पुश्तैनी सम्पत्ति थी जिसके बंटवारा हेतु उत्तरवादी गौरी देवी व उसकी माता मोसमात सीता साहु द्वारा बंटवारा वाद सं0–77/76 एवं 04/79 सब जज गुमला के न्यायालय में दायर किया था जो दिनांक–26.09.1979 के निर्णय व डिक्री द्वारा स्वीकृत किया गया। उक्त निर्णय व डिक्री के विरुद्ध अन्य हिस्सेदार सेवक साहु वगैरह जो अपीलार्थी के पूर्वज थे के द्वारा माननीय पटना उच्च न्यायालय रॉची बेंच में प्रथम अपील वाद सं0–319/1979 दायर किया गया जिससे निम्न न्यायालय के निर्णय व डिक्री को यथावत रखते हुए अपील को दिनांक–21.12.1987 के निर्णय व डिक्री को निरस्त कर दिया।

9. उक्त दोनों निर्णय व डिक्री के आधार पर बंटवारा वाद सं0–77/76 एवं 04/79 में फाईनल डिक्री दिनांक–30.03.1989 को पारित करते हुए गौरी देवी व मसोमात सीता साहुन के हिस्से को अलग कर दिया गया उसी हिस्से के नामान्तरण आदेश के विरुद्ध अपीलार्थीगण द्वारा या रिवीजन दायर किया गया है। उत्तरवादी सं0–01 गौरी देवी व उसकी माता द्वारा अपने हिस्से की भूमि पर दखल प्राप्त करने हेतु इजराय वाद सं0–04/1989 सब जज–I गुमला के न्यायालय में दायर किया जिसमें दिनांक–23.10.1991 को न्यायालय की प्रकिया से गौरी देवी को दखल दिहानी दिलाई गई उस समय सीता साहुन की मृत्यु हो चुकी थी। न्यायालय द्वारा दखल दिहानी दिलाए जाने के पश्चात उत्तरवादी सं0–01 गौरी देवी अपने हिस्से की भूमि पर शान्ति पूर्वक दखलकार चली आ रही है।

10 अपीलार्थीगण द्वारा बंटवारा की अपील निरस्त होने के पश्चात फुलो देवी नामक महिला से बंटवारा वाद सं0–77/76 एवं 07/79 में पारित निर्णय व डिक्री को निरस्त कराने हेतु एक टाईटल सुट न0–28/1988 दायर कराया गया

Scanned with OKEN Scanner

व वाद दिनांक–30.03.1993 के निर्णय व डिक्री द्वारा खारिज कर दिया गया। उक्त निर्णय व डिक्री के विरुद्ध फुलों देवी द्वारा अपर जिला न्यायाधीश–I गुमला के न्यायालय में अपील की दायर किया गया जिसका टाईटल अपील सं0–31/1993 था, उक्त अपील को दिनांक–19.09.2000 के निर्णय व डिक्री द्वारा खारिज कर दिया गया। अपीलार्थीगण व उनके पूर्वजो का बंटवारा वाद के निर्णय व डिक्री को निरस्त करने का हर प्रयास विफल होने के बावजुद बिना किसी हक सरोकर के उत्तरवादी सं0–01 गौरी देवी को परेशान किया जा रहा है।

11 उत्तरवादी सं0–01 गौरी देवी के द्वारा सक्षम न्यायालय के निर्णय से मिले अपने हिस्से की भूमि के नामान्तरण हेतु अंचल अधिकारी सिसई के न्यायालय में आवेदन दिया जिसका नामान्तरण वाद सं0–34 आर 27/2018–19 था, परन्तु उपरोक्त सभी तथ्यों को दरकिनार करते हुए दिनांक–16.08.2018 को नामान्तरण वाद को खारिज कर दिया गया। उत्तरवादी सं0–01 गौरी देवी द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता गुमला के न्यायालय में अपील दायर किया गया, जिसमें सभी विधि व तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक–15.09.2023 के आदेश द्वारा नामान्तरण अपील वाद सं0–19/2018–19 को स्वीकृत कर अंचल अधिकारी सिसई को उत्तरवादी गौरी देवी के पक्ष में बंटवारा वाद के निर्णय व डिक्री के आलोक में नामान्तरण स्वीकृत करने का आदेश दिया गया।

12 अपीलार्थीगण का यह कथन कि सक्षम न्यायालय की निर्णय व डिक्री मरे हुए व्यक्ति के विरुद्ध पारित की गई है इसलिए उक्त निर्णय व डिक्री उनपर बाध्यकारी नही है। अपीलार्थीगण के पूर्वजो द्वारा उक्त बंटवारा वाद व उसका अपील दायर कर अपने सारे विधि के विकल्प को उपयोग किया जा चुका था तथा फुलो देवी से बंटवारा वाद के निर्णय व डिक्री को चुनौती दिलवाई गई उसके बावजुद भी आदेश बरकरार रहा और उत्तरवादी गौरी देवी को न्यायालय की प्रकिया से दखल दिहानी दिलाई गई एवं 30 वर्षो के बाद नया तथ्य अपीलार्थीगण द्वारा लाया जाना उसकी सत्यता पर संदेह उत्पन्न करता है, इसलिए उनका यह आधार निराधर है। फूलो देवी के वाद में सभी अपीलार्थीगण पक्षकार थे व सभी तथ्यों की जानकारी उन्हे प्रारम्भ से ही था।

13. अपीलार्थीगण का यह कथन कि अंचल अधिकारी के प्रतिवेदन में कुल 5 प्लॉटों पर अपीलार्थीगण का दखल दिखाया गया है। उक्त 5 प्लॉट का नामान्तरण उत्तरवादी गौरी देवी के नाम पर नही किया जाना चाहिए। उत्तरवादी का प्रश्नगत भूमि पर न्यायालय की प्रकिया से दखल दिहानी दिलाई गई है और अंचल अमीन के प्रतिवेदन में भी लगभग 99 प्रतिशत भूमि पर गौरी देवी का दखल अंकित किया गया है। सक्षम न्यायालय के निर्णय व डिक्री तथा दखल दिहानी के विपरीत जाकर आदेश राजस्व न्यायालय द्वारा पारित नही किया जा सकता है। इस संदर्भ में माननीय झारखण्ड न्यायालय का न्ययादेश जो JLJR 2012(3) पेज सं0–25 में रिपोर्टेड है। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता गुमला द्वारा पारित आदेश पूर्णतः न्यायोचित है तथा आदेश माननीय उच्च न्यायालय के न्यायादेशों को दृष्टिगत रखते हुए पारित किया गया है।

उत्तरवादी सं0–01 गौरी देवी के द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता गुमला द्वारा पारित आदेश को यथावत रखते हुए अपील वाद को अस्वीकृत करने का अनुरोध किया गया है।

उत्तरवादी के द्वारा अपने दावे के समर्थन निम्नांकित कागजातों की छाया प्रति संलग्न किया गया है।

Scanned with OKEN Scanner

1. J.L.J.R-2012(3) पेज सं0–25 की छाया प्रति।
2. T.S N0.-28/1988 में पारित आदेश एवं डिक्री का सच्चीप्रतिलिपि का छाया प्रति।
3. T.A N0.-31/93 में पारित आदेश एवं डिक्री का सच्चीप्रतिलिपि का छाया प्रति।
4. P.S N0.-77/76 एवं 4/79 का फाईलन डिक्री एवं दखन देहानी प्रतिवेदन का सच्चीप्रतिलिपि की छाया प्रति।
5. G.R Case No.-716/23 का F.I.R का सच्चीप्रतिलिपि का छाया प्रति।

उत्तरवादी सं0–02,03, एवं 04 का पक्ष

14 उत्तरवादीगण के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा लिखित बहस के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि भूमि सुधार उप समाहर्त्ता गुमला द्वारा दाखिल खारिज अपील सं0–19/2018–19 में दिनांक–15.09.2023 को पारित आदेश विधि सम्मत नही, जो खारिज करने योग्य है। निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश कानून की वैधानिकता को दरकिनार करके पारित किया गया है, जिसका कोई वैधानिक आधार नही है। निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश म्यूटेशन एक्ट के विरुद्ध है। प्रश्नगत भूमि का दाखिल खारिज होने के लिए आवेदक का भूमि पर लगख होना आवश्यक है। प्रश्नगत भूमि पर उत्तरवादी गौरी देवी का दखल कभी नही रहा है।

15 उत्तरवादीगण गौरी देवी के द्वारा पार्टिसन सूट सं0–77/76 एवं इजराय वाद सं0–04/89 के आदेश को आधार मानकर प्रश्नगत भूमि का दाखिल खारिज कराने हेतु आवेदन दिया गया है वह आदेश विधि सम्मत नही है। प्रश्नगत भूमि का दखल देहानी भूमि पर जाकर वैधानिक रुप से नही किया गया है। मौजा–लावागाई थाना–सिसई जिला–गुमला का प्रश्नगत भूमि का खाता सं0–29 प्लॉट सं0–424 रकबा–0.96 एकड़ वो प्लॉट सं0–737 रकबा–0.81 एकड़ वो प्लॉट सं0–736/834 रकबा–1.51 एकड़ भूमि खुदी साहु का निजी भूमि है एवं खुदी साहु की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी जमाबंदी महाबीर साहु वो दयाल साहु के नाम से कायम है। प्रश्नगत भूमि पर शान्तिपूर्ण दखलकार रहकर हर वर्ष सरकार को मालगुजारी अदा करते आ रहे है।

16 उत्तरवादी गौरी देवी के द्वारा मौजा–लावागाई थाना सिसई जिला गुमला के खाता सं0–88 प्लॉट सं0–478 रकबा–0.86 एकड़ भूमि के दाखिल खारिज हेतु निम्न न्यायालय में आवेदन दिया गया है। प्रश्नगत प्लॉट सं0–478 खाता सं0–88 का भूमि नही हैं। प्रश्नगत प्लॉट सं0–478 मौजा–लावागाई थाना–सिसई जिला–गुमला के खाता सं0–2 की भूमि है, जिसका जमाबंदी सोमा पुजार के नाम से कायम है तथा सोमा पुजार के वारिसान प्रश्नगत भूमि में शान्तिपूर्वक दखलकार रहकर हर वर्ष सरकार को मालगुजारी अदा करते आ रहे है।

17 उत्तरवादी गौरी देवी ग्राम–छारदा थाना–सिसई जिला–गुमला की निवासी है तथा प्रश्नगत भूमि ग्राम छारदा से करीब 10 कि0 मी0 दूर ग्राम लावागाई में है। प्रश्नगत भूमि में गौरी देवी के दखलकार होने का प्रश्न ही नही उठता है, तथा गौरी देवी भूमि पर दखलकार नही है तो भूमि का दाखिल खारिज कानूनन रुप से गौरी देवी के नाम से नही हो सकता है। भूमि का दाखिल खारिज के लिए संबंधित भूमि के वैध कागजात के साथ–साथ दावेदार का दखल होना आवश्यक है। भूमि का वैध कागजात होते हुए भी भूमि में दावेदार का दखल नही है तो दावेदार के नाम से दाखिल खारिज नही हो सकता है।

18. उत्तरवादी गौरी देवी के द्वारा इजराय वाद के आदेश के 25 वर्ष वाद दाखिल

Scanned with OKEN Scanner

खारिज हेतु आवेदन समर्पित किया गया है जो विधि सम्मत नही है। कानूनन गौरी देवी को आदेश की तिथि के बाद 12 वर्ष के अन्दर ही दाखिल खारिज कराना था, परन्तु उत्तरवादी के द्वारा दाखिल खारिज का आवेदन आदेश के 25 वर्ष के बाद आवेदन समर्पित किया गया है। कानूनन गौरी देवी के नाम से दाखिल खारिज हो ही नही सकता है। उत्तरवादी गौरी देवी के द्वारा इजराय वाद सं0–04/89 के आदेश के 25 वर्ष वाद दाखिल खारिज हेतु आवेदन समर्पित किया गया है। सोमा पुजार के खाता की भूमि को आवेदन में शामिल करने तथा प्रश्नगत भूमि में गौरी देवी का दखल नही होने एवं खुदी साहु की निजी भूमि को आवेदन में शामिल करने के कारण अंचल अधिकारी सिसई के द्वारा गौरी देवी का दाखिल खारिज आवेदन को अस्वीकृत किया गया है, जो विधि सम्मत है।

19 भूमि सुधार उप समाहर्त्ता गुमला के द्वारा दाखिल खारिज अपील वाद सं0–19/2018–19 में दिनांक–15.09.2023 में पारित आदेश के द्वारा अंचल अधिकारी सिसई के दाखिल खारिज वाद सं0–27 आर 27/2018–19 में निर्णित आदेश को खारिज करना न्याय हित में उचित नही है।

उत्तरवादी सं0–02.,03. एवं 04 के द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता गुमला द्वारा पारित आदेश को निरस्त करते हुए अपील वाद स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया है।

उत्तरवादीगण के द्वारा अपने दावे के समर्थन निम्नांकित कागजातों की छाया प्रति संलग्न किया गया है।

1. J.B.C.J 2014 (3) पेज सं0–188 की छाया प्रति।
2. P.L.J.R (3) पेज सं0–245 की छाया प्रति।
3. C.W.J.R. N0-2657/2000 R की छाया प्रति।

उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत दलीलों व निम्न न्यायालय के आदेश के सम्यक अवलोकन व समीक्षा से स्पष्ट होता है कि भूमि सुधार, उप–समाहर्त्ता,गुमला द्वारा अपीलार्थीगण के दावा के संदर्भ में वैद्यिक दखल कब्जा की स्थिति पर विचार किये बिना ही आदेश पारित किया गया है जो विधि सम्मत नहीं है।

अतः उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता गुमला द्वारा Mutation Appeal Case No. – 19/2018-19 में पारित आदेश को निरस्त करते हुए वैद्यिक दखल–कब्जा की स्थिति का जांचोपरान्त सभी औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुए The Bihar Tenants Holdings (Maintenance of Records) Act.1973 का अनुपालन कर तर्कसंगत आदेश पारित करने हेतु वाद Remand किया जाता है।

आदेश की प्रति निम्न अपीलीय न्यायालय के मूल अभिलेख के साथ भेजें।

लेखापित एवं संशोधित

उपायुक्त,
गुमला

Digitally signed by KARN SATYARTHI
Date: 2024.08.05 17:42:53 +05:30
Location: 192.168.29.195

Scanned with OKEN Scanner